न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
456/2022	14.11.2022	05.7.2023

उनवान

1. संतलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
2. गेवा देवी पत्नी लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
3. मुकेश पुत्र लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
4. पुनम पुत्री लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
5. राजबीर पुत्र लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
6. राजेन्द्र पुत्र फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
7. महेन्द्र पुत्र फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
8. बिजेन्द्र पुत्र फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
9. बर्फी पुत्री फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार सभी निवासी बीरनवास तह0 नीमराना जिला अलवर वादी सं.0 01 लगा. 09 की ओर से जरिये मुख्यतयार महेश कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर निवासी मकान नं. 1164 पी0 सैक्टर 46 गुरूग्राम हरियाणा।

वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:– 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि वादी सं. 01 की माता जी व वादी सं0 02 लगा. 09 की दादी सुजरी बेवा प्रभुदयाल जाति.चमार निवासी बीरनवास तह0 नीमराना जिला अलवर को गरीब व भूमिहीन होने के कारण राज्य सरकार द्वार दिनांक 11.09. 1975 को ख.नं. 458 मिन रकबा 04 बीघा वाकें ग्राम परतापुर चक नं. 01 कृषि हेतु अलॉट की गइ थी तथा अलॉट मेन्ट एवं मौके पर दखल के आधार पर उक्त ख.नं. 458 हम वादीगण की माता जी / दादी जी के नाम से संवत 2035 मे गैर खातेदारी दर्ज हो गई थी। वक्त अलॉटमेन्ट से उक्त आराजी पर हम वादीगण की बुजूर्ग सुरजी देवी काबिज रही तथा उनकी मृत्यु दिनांक 03.11.1992 के बाद से उक्त आराजी पर उनके विधिक वारिसान की हैसियत से हम वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। हम वादीगण की बुजूर्ग सुरजी देवी के वारिसान का सजारा वाद मे अंकित किया जा रहा है।
2. संवत 2042 मे बंदोबस्त विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण बिना मौका पर कब्जा काश्त की जाच किये ही हम वादीगण की बुजूर्ग सूरजी देवी की अलॉटशुदा कब्जा काश्त की भूमि ख0नं. 458 मिन रकबा 04 बीघा को मूल ख.नं. 458 मे मिलाकर उसका नया नं0 624/06.38 दर्ज कर डाला खिलाफ मौका, खिलाफ कानून नियम विरूद्ध

Sidd/2023

तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसकी जानकारी हम वादीगण के बुजूर्ग को नही थी। हम वादीगण की बुजुर्ग सुरजी देवी बेवा प्रभूदयाल की मृत्यु होने के बाद हम वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का रिकॉर्ड देखा तो उक्त आराजी हमारे बुजूर्ग के नाम से नही मिली तो हम वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद सं. 137/2006 उनवान संतलाल वगैराह बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहयक कलक्टर,बहरोड के समक्ष पेश किया गया। जिसमे न्यायालय श्रीमान द्वारा पूर्ण सूनवाई कर दावा दिनांक 20.11.2006 को डिक्री कर दिया गया। हम वादीगण ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण हमे इस बात की जानकारी नही थी कि निर्णय के बाद उसके निस्पादन के लिए अलग से इजराय प्रा0पत्र पेश करना पडता है। लेकिन हम वादीगण ने यह सोचा की दावा डिक्री हो गया है। रिकॉर्ड मे अपने आप चढा दि जावेगी और हमने निर्णय की नकल लेकर अपने पास रख ली मौके पर हम वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिए रिकॉर्ड को नही देखा। लेकिन अब परिसिमन के आधार पर हम वादीगण की उक्त आराजी ग्राम परतापुर चक नं0 01 की बजाय ग्राम घीलोट की सीमा मे दर्ज हो जाने पर हमारे द्वारा रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि ख.नं. 624/06.38 ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना की रेवेन्यु मे दर्ज करते समय उसके नये ख. नं. 2257/04.38 कायम किये गये हैं। लेकिन उक्त ख.नं. रिकॉर्ड मे सिवायचक बारानी दर्ज है। हमवादीगण के नाम से न्यायालय श्रीमान के निर्णय के मुताबिक खातेदारी मे दर्ज नही हुई है। इस पर हमवादीगण पटवारी हल्का के पास गये व उनकों निर्णय की नकल दिखाई तो पटवारी हल्का ने कहा कि इस निर्णय के मुताबिक आप के नाम से भूमि रिकॉर्ड मे दर्ज नही हुई है। तो हमवादीगण द्वारा रिकॉर्ड मे भूमि दर्ज करने के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब से आदेश लेकर आने के लिए कहा तो हम वादीगण दिनांक 04.11.2022 को तहसीलदार सहाब से मिले तो तहसीलदार साहब ने निर्णय देख कर कहा कि निर्णय सन 2006 का है जो मियाद बाहर हो चुका है। इसलिए इस निर्णय के मुताबिक रिकॉर्ड मे पालना नही हो सकती है। पुनः दावा पेश करना पडेगा। इसलिए हम वादीगण द्वारा अपने वकील साहब से मिल कर यह दावा इस्तकरार हक व हु0ई0दवामी का पेश करना लाजिम आया है।

3. अतः मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना कि है:--

(क) डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि ख.नं. हाल 2257/04.38 वाके ग्राम घीलोठ मे से अलॉटमेन्ट व संवत 2035 की जमाबंदी एंव न्यायालय सहायक कलक्टर,बहरोड पारित निर्णय दिनांक 20.11.2006 एंव मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक 01.00 हैक्टर भूमि पर से सिवायचक बारानी के इन्द्राज का कलमजन करवा कर उक्त 01.00 हैक्टर भूमि का बटटा नं0 कायम कर उसके 1/3 हिस्से का खातेदार वादी सं. 01 को व 1/3 हिस्से का संभाग खातेदार प्रतिवादी सं0 02 लगा0 05 व 1/3 हिससे के संभाग खातेदार वादी सं. 06 लगा. 09 को घोषित किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदीयात व ख0गिरदावरी व राजस्व नक्शा मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रति0 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण का वाद गलत है स्वीकार नही है वादीगण का मौके पर कब्जा नही है। भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके पर कब्जा न होने के कारण ही सिवायचक दर्ज किया गया है जो सही है। वादीगण के पक्ष मे जो डिक्री दिनांक 20.11.2006 पारित की गई है वह बेरून मियाद है। वादीगण पुनः वाद पेश नही कर सकता वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

धिकारी
अलवर)

Sidd/2022

5. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि मे महेश कुमार पुत्र वेदप्रकाश का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01 पेश किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम धीलोठ प्रदर्श 01, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 02, नकल खतौनी भू प्रबंध विभाग संवत 2042 प्रदर्श 03, नकल जमाबंदी संवत 2035 ग्राम परतापुर चक नं.01 प्रदर्श 04, नकल इंतकाल सं. 46 ग्राम परतापुर चक नं. 01 प्रदर्श 05, नकल इंतकाल सं. 71 वाके ग्राम परतापुर चक नं0 01 प्रदर्श 06, नकल निर्णय सहायक कलक्टर,बहरोड दिनांक 20.11.2006 प्रदर्श 07, नकल पर्चा डिक्री दिनांक 20.11.2006 प्रदर्श 08, नकल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0प्रदर्श 09, फोटोप्रति मुखत्यारनामा आम प्रदर्श 10, फोटो प्रति परिसीमन आदेश दिनांक 09.04.2019 प्रदर्श 11 पेश किये है।

6. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया,तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:–

तनकी नं0 01:– आया साबिक ख.नं. 458 मिन रकबा 04 बीघा वाके ग्राम परतापुर चक नं. 01 मे दिनांक 11.09.1975 को आवंटन की जाकर मौके पर दखल दिया गया था जिस पर वादीगण काबिज काश्त है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल इंतकाल सं. 46 प्रदर्श 05 के अवलोकन से साबित है कि यह इंतकाल आराजी विवादित की किस्म परिवर्तन की जाकर सिवायचक लगानी घोषित की गई है। यह इंतकाल श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के क्रमाक प12–1(35) राज/ 75 दिनांक 06.09.1975 के अनुसार दर्ज व मंजूर किया गया है। नकल इंतकाल सं. 71 प्रदर्श 06 के अवलोकन से साबित है कि आराजी ख.नं. साबिक 458 रकबा 04 बीघा भूमि वाद आंवटन मु0 सुरजी बेवा प्रभूदयाल चमार साकिन बीरनवास के पक्ष मे गैरखातेदारी दर्ज हुइ है। नकल जमाबन्दी सं. 2035 प्रदर्श 04 से साबित है कि खाता सं. 86 पर मु0 सुरजी बेवा प्रभूदयाल चमार सा0 बीरनवास गैरखातेदार ख.नं. 458मिन/04–00 बीघा बारानी दोयम दर्ज रिकॉर्ड है। इस जमाबंदी के कॉलम सं. 16 मे इंतकाल सं. 46 किस्म परिवर्तन व इंतकाल सं. 71 गैर खातेदारी का नोट अंकित है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी तक की जाती है।

तनकी नं. 02:– आया भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण को अलॉटशुदा भूमि ख.नं. 458 मिन रकबा 04 बीघा को मूल ख.नं. 458 मे मिला कर हाल ख.नं. 624/06.38 कायम कर गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 02 के अनुसार साबिक ख.नं. 458 का हाल ख.नं. 624 रकबा 06.38 हैक्टर कायम किया गया है।नकल खतौनी भू प्रबंध विभाग संवत 2042–61 प्रदर्श 03 के अनुसार हाल ख.नं. 624/06.38 बंजड सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड है। जब भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण की माता / दादी की गैरखातेदारी की आराजी को भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2042–61 मे सिवायचक दर्ज कर दिया। जो गलत है, यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी तक की जाती है।

तनकी नं0 03:– आया वादीगण द्वारा दुरूस्ती इन्द्राज का दावा पूर्व मे पेश किया गया था जो वाद दिनांक 20.11.2006 को डिक्री किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया गया था? इस तनकी का भार वादीगण पर था, वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल निर्णय प्रदर्श 07 के अनुसार वादीगण ने एक दुरूस्ती का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर,बहरोड के यहा पेशकिया। जिसके निर्णय व डिक्री की नकल प्रदर्श 07 व 08 पत्रावली मे पेश है मे जिस डिक्री के अनुसार आराजी विवादित को पुनः वादीगण की गैर खातेदारी दर्ज किये जाने आदेश दिये गये है। परन्तु वादीगण द्वारा डिक्री पालना हेतु न्यायालय मे इजराय पेश नही की इस कारण भी आराजी विवादित सिवायचक

दर्ज रिकॉर्ड होती रही है। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 04— आया वादीगण हाल ख.नं. 2257/04.38 वाके ग्राम धीलोठ मे रो 01.00 हैक्टर के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है तथा उकतानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तनकी नं. 01, 02 व 03 मे किये गये विवेचनानुसार यह तनकी स्वतः ही वादीगण के पक्ष मे जाती है भू प्रबंध विभाग को किसी के भी गैर खातेदारी अधिकार या खातेदारी अधिकार को समाप्त करने के कानूनन कोई अधिकार नही है। भू प्रबंध विभाग को साबिक रिकॉर्ड के अनुसार ही इन्द्राज किया जाना चाहिये था। प्रतिवादीगण ने वादीगण का कब्जा न होने बाबत कोई प्रमाण पेश नही किया है। जबकि पूर्व निर्णय दिनांक 20.11.2006 से साबित है कि वादीगण का मौके पर कब्जा है। वादीगण का कब्जा साबित होने पर ही पुनः आराजी को बाद दुरूस्ती वादीगण की गैर खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। चुकि न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा दिनांक 20.11.2006 को वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया गया था इसलिए इतनी अवधि के पश्चात कानूनन वादीगण को खातेदारी अधिकार स्वत ही प्राप्त हो चुके है। चुकि वादीगण की माता / दादी मु0 सुरजी को भूमि हीन गरीबी श्रेणी मे होने के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि आवंटन की गई थी। वर्तमान मे आराजी विवादित श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश दिनांक 09.04.2019 के अनुसार ग्राम परतापुर चक नं. 01 से ग्राम धीलोठ मे सामिल कर ख.नं. 2257/04.38 कायम किये गये है। इसलिए वादीगण को न्यायहित मे खातेदारी अधिकार दिया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 05:— आया वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नही है,कब्जा ना होने के कारण आराजी को मौका स्थिति के अनुसार ही सिवायचक सही दर्ज किया गया है? इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे के अलावा कोई रिकॉर्ड एंव साक्ष्य पेश नही की गई ना ही मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अभाव मे प्रतिवादीगण के कथन की पुष्टि नही होती है। केवल जवाब के आधार पर यह तनकी सिद्ध नही हो सकती प्रतिवादी इस तनकी को सिद्ध करने मे असफल रहा है इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 06::— आया वादीगण का वाद कानूनन काबिल खारिज है? इस तनकी का भार भी प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तकय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वाद वादीगण साबित होता है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पता है।

7. अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जा कर ख.नं. हाल 2257/04.38 वाके ग्राम धीलोठ मे से अलॉटमेन्ट व संवत 2035 की जमाबंदी एंव न्यायालय सहायक कलक्टर,बहरोड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2006 के अनुसार वादीगण को रकबा 01.00 हैक्टर का

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त रकबे की जद तक सिवायचक बारानी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त 01.00 हैक्टर भूमि का बटटा नं0 कायम कर उसके 1/3 हिस्से का खातेदार वादी सं. 01 को व 1/3 हिस्से का संभाग खातेदार प्रतिवादी सं0 02 लगा0 05 व 1/3 हिससे के संभाग खातेदार वादी सं. 06 लगा. 09 को घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदीयात व ख0गिरदावरी व राजस्व नक्शा मे अंकन करने का आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.7.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

05/7/2023

मुकुट सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी, एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या
496/2022

रजू दिनांक
14.11.2022

निर्णय दिनांक
05.7.2023

उनवान

1. संतलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
2. भेवा देवी पत्नी लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
3. मुकेश पुत्र लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
4. पुनम पुत्री लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
5. राजबीर पुत्र लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
6. राजेन्द्र पुत्र फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
7. महेन्द्र पुत्र फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
8. बिजेन्द्र पुत्र फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार
9. बर्फी पुत्री फूलसिंह पुत्र प्रभूदयाल जाति चमार सभी निवासी बीरनवास तह0 नीमराना जिला अलवर वादी सं.0 01 लगा. 09 की ओर से जरिये मुख्यतयार महेश कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर निवासी मकान नं. 1164 पी0 सैक्टर 46 गुरूग्राम हरियाणा।

वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः– 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

दिनांक :– 05.7.2023

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जा कर ख.नं. हाल 2257/04.38 वाके ग्राम घीलोठ मे से अलॉटमेन्ट व संवत 2035 की जमाबंदी एंव न्यायालय सहायक कलक्टर,बहरोड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2006 के अनुसार वादीगण को रकबा 01.00 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त रकबे की जद तक सिवायचक बारानी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त 01.00 हैक्टर भूमि का बटटा नं0 कायम कर उसके 1/3 हिस्से का खातेदार वादी सं. 01 को व 1/3 हिस्से का संभाग खातेदार प्रतिवादी सं0 02 लगा0 05 व 1/3 हिससे के संभाग खातेदार वादी सं. 06 लगा. 09 को घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदीयात व ख0गिरदावरी व राजस्व नक्शा मे अंकन करने का आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

05/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)